संख्या- 37/2021/990/33-3-2021-43/2010टी०सी०

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनाँकः 15 जून, 2021**

विषयः- सामान्य निर्वाचन-2021 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायतों के संघटन एवं संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ दिलाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-32/2021/865/33-3-2021-43/2010 टी0सी0 दिनांक 22.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के संघटन एवं संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ दिलाए जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे।

2- राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-3753/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/46-21/2021 दिनांक 31.05.2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 02.05.2021 को सम्पन्न मतगणना के पश्चात कतिपय पदों का कोई नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त न होने अथवा किसी भी कारण से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न न हो पाने और निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात निधन या अन्य कारण से पद रिक्त हैं। उक्त कारणों से रिक्त पदों के निर्वाचन हेतु दिनांक 06.06.2021 को नामांकन, दिनांक 12.06.2021 को मतदान तथा दिनाक 14.06.2021 को मतगणना की कार्यवाही की गई।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 12.06.2021 को मतदान एवं दिनांक 14.06.2021 को मतगणना के उपरान्त निर्वाचित ग्राम पंचायतों को संघटित करने, निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाए जाने एवं प्रथम बैठक के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

क्रम सं0	कार्यवाही	समय सारणी
1.	ग्राम पंचायतों को संघटित करने की अधिसूचना जिलाधिकारी द्वारा निर्गत करना।	दिनांक 17.06.2021
2.	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग/ वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण की कार्यवाही।	दिनांक 18.06.2021 से 19.06.2021
3	नव गठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक की तिथि	दिनांक 20.06.2021

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अत: उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-32/2021/865/33-3-2021-43/2010 टी0सी0 दिनांक 22.05.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशु धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को समाचार पत्र में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु।
12. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(**मनोज कुमार सिंह**)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।